

23.01.2023

वाद पुकारा गया। पुकार पर वादी अनुपस्थित, प्रतिवादी उपस्थित। वादी द्वारा कोई स्थगन भी नहीं दिया गया। वादी को अंतिम अवसर भी दिया जा चुका है। अतः वादी की अनुपस्थिति एवं प्रतिवादी की उपस्थिति में मूलवाद खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रस्तुत मूलवाद वादी की अनुपस्थिति एवं प्रतिवादी की उपस्थिति में खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

सिविल जज (सी0 डि0),
बरेली।